कार्यालय- जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्याय निर्णय के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची के पत्रांक–203, दिनांक 29.01.2019 तथा प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के आदेश संख्या–662 / 663 / 665, दिनांक 02.05.2019 के निदेशानुसार प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2015–16 में विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर एक और काउंसिलिंग कराने हेतु वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 तक के लिए अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची का ब्यौरा तैयार कर गोड्डा जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.godda.nic.in पर अपलॉड कर दिया गया है। अपलॉड डाटा के संबंध में आवेदकों को अगर कोई आपत्ति दर्ज करनी हो तो दिनांक–22.05.2019 संध्या 5:00 बजे तक प्रत्येक कार्य अवधि को कार्यालय में अपनी आपत्ति साक्ष्य के साथ दर्ज कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद कोई दावा या आपत्ति मान्य नही होगा। साथ ही औपबंधिक मेधा सूची में नाम प्रकाशित किये जाने मात्र से नियुक्ति का दावा मान्य नही होगा। नियुक्ति मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्त विज्ञापित पदों पर ही विचारनीय होगा।

ह०/- 15/5

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

ज्ञापांक 736 / गोड्डा, दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना दिनांक 16.05.2019 को कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

ह०/- 15/5/19

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गोड्डा।

O/C